न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 251/2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/359**

दायर दिनांक :– 18.10.2024 **निर्णय दिनांक :– 03.12.2025**

1. जनती पत्नी अमरदीन जाति मुसलमान निवासी रोला तहसील बाप जिला फलोदी

प्रार्थी–

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)
2. प्रेम कुमारी पुत्री अर्जुनसिंह जाति राजपूत निवासी पोकरण तह. पोकरण जिला जैसलमेंर
3. अमरखातु पत्नी नबाले खां जाति मुसलमान निवासी रोला तहसील बाप जिला फलोदी
4. चन्दनसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
5. रेंवतसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
6. हनुमानसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
7. कस्तूरचन्द पुत्र आईदान जाति राजपूत निवासी नाचना जिला जैसलमेंर
8. दले खां पुत्र खानू जाति मुसलमान निवासी रोला तहसील बाप जिला फलोदी
9. मरवत पत्नी दले खां जाति मुसलमान निवासी रोला तहसील बाप जिला फलोदी

अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री विजय तंवर अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधि. अ.सं. 3 व 5
3. श्री दुलीचंद मेघवाल अधि. अ.सं. 8 व 9
4. पैरोकार सरकार तहसीलदार, बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है प्रार्थीनी व अप्रार्थी संख्या 7 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 1/3 रकबा 6.0703 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 1 रकबा 5.4228 हैक्टेयर तथा अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 6 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 1/463 रकबा 4.0469 हैक्टेयर सरहद मौजा सुमराणी मंगलियों की बस्ती पटवार क्षेत्र देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। प्रार्थीनी व अप्रार्थी संख्या 1 का उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1/3 रकबा 6.0703 हैक्टेयर भूमि पर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार अपना–अपना कब्जा व काश्त लगातार शांतिपूर्वक तरीके से चला आ रहा है। लेकिन वर्तमान में पटवारी हल्का ने सरासर गलत तरीके से एवं बिना किसी विधिक आदेश के एवं प्रार्थीनी को सूचित किये बगैर ही सेग्रीकेशन योजना के तहत प्रार्थीनी की खातेदारी की भूमि की नक्शा में

Satya..
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

तरमीम अपनी मनमर्जी से जमाबंदी में दर्ज रकबा से 10 बीघा भूमि कम करते हुवे अप्रार्थी संख्या 2 केखसरा नम्बर 1 रकबा 5.4228 हैक्टेयर की जमाबंदी में दर्ज रकबा से 5 बीघा तथा अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 6 के खसरा नम्बर 1/463 रकबा 4.0469 हैक्टेयर की जमाबंदी में दर्ज रकबा से 5 बीघा भूमि की तरमीम रकबे एवं कब्जे से अधिक करदी है जो सरासर गलत एवं विधि विरूद्व है। जबकि प्रार्थीनी व अप्रार्थी संख्या 7 का मौके पर कब्जा व काश्त संलग्न नजरी नक्शा व जमाबंदी में दर्ज रकबा अनुसार आज दिन तक लगातार चला आ रहा है। इसलिये प्रार्थीनी उपरोक्त वर्णित भूमि अधिक विधि विरूद्व तरीके से की गई तरमीम को निरस्त करवाने एवं प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम करवाने की अधिकारिणी है। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 व 5 की और से अधिवक्ता राजेन्द्रसिंह सोंलकी ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 8 व 9 की और से अधिवक्ता दुलीचंद मेघवाल ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 व 5 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर इनका जवाब बंद किया गया। शेष अप्रार्थीगण की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब व मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थी संख्या 1 सरकारी पैरोकार ने जवाब में बताया कि ग्राम सुमराणी मंगलियों की बस्ती पटवार हल्का देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 1/3 रकबा 6.0703 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1 रकबा 5.4238 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1/463 रकबा 4.0469 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1/1 रकबा 12.1406 हैक्टेयर भूमि की तरमीम की हुई है। खसरा नम्बर 1/3 के खातेदार प्रार्थीनी व अप्रार्थी संख्या 7 का खसरा नम्बर 1 में 0.4462 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 4/463 में 0.8761 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1/1 में 0.1510 हैक्टयर भूमि पर कब्जा है। उक्त भूमि के खातेदारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जार पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार तमरीम को दुरूस्त किया जाना उचित है। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम सुमराणी मंगलियों की बस्ती पटवार क्षेत्र देदासरी तहसील बाप खसरा नम्बर 1/3 रकबा 6.0703 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1 रकबा 5.4238 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1/463 रकबा 4.0469 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1/1 रकबा 12.1406 हैक्टेयर भूमि की तरमीम खातेदारों के कब्जा काश्त के भिन्न है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट एवं तहसीलदार बाप के जवाब इत्यादि का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में कब्जा काश्त के विपरित एवं जमाबंदी में दर्ज रकबे से कम ज्यादा की गई है। खसरा नम्बर 4/463 ग्राम दुर्जनी के नामन्तरकरण संख्या 47 में एलोटमेंट से बट्टा नम्बर कायम हुवे है जो नामान्तरकरण की पुश्त के पीछे नजरी नक्शा में नहीं है। खसरा नम्बर 1, 1/3 की भी नामान्तरकरण

Saty..
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

की पुश्त पर नजरी नक्शा नहीं है परन्तु लट्ठा नक्शा में उपरोक्त खसरान् की तरमीम अंकित है। उक्त खसरान् की वर्तमान तरमीम सेग्रीकेशन योजना के तहत की गई है। उक्त ऑनलाईन तरमीम जमाबंदी में दर्ज रकबे से अधिक एवं कम होने से दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात से साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को निरस्त किया किया जाकर पटवारी हल्का देदासरी की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किया जाना उचित समझते है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम सुमराणी मंगलियों की बस्ती पटवार क्षेत्र देदासरी तहसील बाप खसरा नम्बर 1/3 रकबा 6.0703 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1 रकबा 5.4238 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1/463 रकबा 4.0469 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1/1 रकबा 12.1406 हैक्टेयर भूमि की तरमीम को निरस्त किया जाकर पटवारी हल्का की रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किये जाने का आदेश तहसीलदार बाप को दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्य नारायण–I, R.A.S.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)